

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 109

प्रकरण क्रमांक– M-PRO-2023-01974

आवेदक : श्री सुजय कुमार गुप्ता, पता- मकान क्रमांक-सी-240, शैलेन्द्र नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध (1) फीनिक्स इन्फ्रा एस्टेट इंटरनेशनल प्रा.लि., (2) साईं डेव्हलपर्स, पता-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर वार्ड -46, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट - "साईं ड्रीम्स", अमलीडीह, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
23/02/2024	<ul style="list-style-type: none">- प्रकरण प्रस्तुत।- आवेदक द्वारा अधिवक्ता श्री सृजन शुक्ला उपस्थित।- अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा अधिवक्ता श्री शाश्वत सुराना उपस्थित।- आवेदक श्री सुजय कुमार गुप्ता द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत एतद् पश्चात् अधिनियम की धारा-31 एवं छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 एतद् पश्चात् नियम की कंडिका-35 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप-ड (FORM-M) में अनावेदकगण के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है।- दिनांक 03.11.2023 को उभय पक्ष के मध्य समझौता पत्र पेश करने हेतु समय चाहा गया। दिनांक 20.11.2023 को समझौता पत्र पेश करने हेतु समय चाहा गया। दिनांक 15.12.2023 को समझौता पत्र पेश करने समय चाहा गया। प्राधिकरण द्वारा अंतिम अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 05.01.2024 को प्राधिकरण द्वारा न्यायहित में समझौता पत्र पेश करने हेतु समय दिया गया। दिनांक 07.02.2024 को समझौता पत्र पेश करने हेतु समय चाहा गया।- उभय पक्ष द्वारा दिनांक 16.02.2024 को समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा आवेदक को रूपये 6,65,000/- नगद भुगतान किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य आपसी समझौता होने के कारण कोई विवाद शेष नहीं है। प्रकरण में	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 109

प्रकरण क्रमांक- M-PRO-2023-01974

आवेदक : श्री सुजय कुमार गुप्ता, पता- मकान क्रमांक-सी-240, शैलेन्द्र नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध (1) फीनिक्स इन्फ्रा एस्टेट इंटरनेशनल प्रा.लि., (2) साईं डेव्हलपर्स, पता-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर वार्ड -46, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट - "साईं ड्रीम्स", अमलीडीह, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>उभय पक्ष के मध्य आपसी समझौते के आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जाता है।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	